

मुख्य समाचार

जाट कॉलेज ने शूटिंग में पाया द्वितीय स्थान

दिमागी विकास के लिए दमदार खेल हैं
शूटिंग : प्रधान श्री दिमाना



सुकरमपाल, पब्लिक एशिया

शूटिंग » गट एंड गेट्स अकादमी में दूसरे कॉलेज महिला वर्ग की शूटिंग प्रतिभागियों का आयोजन किया गया। जिसमें अखिल भारतीय जाट स्मर्म स्पार्क महिलाओं की महिला वर्ग की शूटिंग टीम ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। विजेता प्रतिभागियों को जाट शिक्षण संस्था के प्रधान श्री गुरुमा सिंह ब्राह्मणा और कॉलेज डॉ. शबनम राधी ने बधाई देते हुए शुभकामनाएं दी। इस दौरान मदरिंग के खेल डायरेक्टर डॉ. अरपी गांग ने भी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए हाँसला बढ़ावा दिया। अनुष्ठान गुरुवार सिंह दिमाना ने कहा कि शूटिंग खेल से बुद्धि का विकास होता है। शूटिंग खेलों से खिलाड़ी के अंदर एकाग्रता वाली फोकस को बढ़ाता है। श्री दिमाना ने कहा कि इन खेलों को खेला जाए तो इनके परिणाम काफी अच्छे होते हैं। उन्होंने कहा कि शूटिंग का खेल आपको प्लानिंग, विश्वास, अनुशासन से भी सिखाता है। प्राचीवाल डॉ. शबनम राधी ने खिलाड़ियों को प्रेमित करते हुए कहा कि शूटिंग खेल भावना सिखाता है। उन्होंने कहा कि शूटिंग एक ऐसा खेल है जिसे हर उम्र के लोग आसानी से सीख सकते हैं और जो प्रेरणा बढ़ाता है, व्यवहार को सुधारने में मदद करता है। अस्पृश्यवास और भागीदारी विकास करता है। कॉलेज वर्षण मलिक के खिलाड़ियों दृष्टि, कौशल राज, अंजलि, काजल मलिक, सद्यो और रीव ने शानदार प्रदर्शन कर कॉलेज को दूसरा स्थान दिलाया। उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर डॉ. शुभा मलिक, डॉ. वरुण मलिक, डॉ. नितेश लठवाल सहित शारीरिक शिक्षा विभाग के सभी प्राच्याचारक मौजूद रहे।

मंडल रोजगार कार्यालय में रोजगार मेला 21 नवंबर को

प्रदीप गौतम, पब्लिक एशिया

गुजारात » मण्डल रोजगार कार्यालय गुजारात द्वारा 21 नवंबर को प्राप्त: 9 बजे लघु स्थानिक विवाहालय स्थित पांचवां मौजूद पर कमरा नंबर 513-514 परोंग रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। मेले में ट्रांसपोर्ट वांपरिसंग और इन्वेस्टर लिमिटेड, अईआईआईआई बैंक, पाइव फोर्स सिलिन्यरिटी प्राइवेट लिमिटेड व रिसिवर्स इंटर्मार्ट लिमिटेड अदिक कम्पनियां भाग ले रही हैं, जिसमें 10वां, 12वां, ग्रेजुएट व पोस्ट ग्रेजुएट पास विभाग के सभी विभागों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।

मोहिंदर भगत ने जालंधर में 5443 नवनिवाचित पंचायत सदस्यों को शपथ दिलाई

एंड्रेसी

जालंधर » पंजाब के बागवानी, स्वतंत्रता सेनानी एवं रक्षा कल्याण मंत्री मोहिंदर भगत ने मंगलवार को यहां जिलायां गांव के खेल स्टेडियम में जिला स्तरीय समरोह के दौरान जिले की नवनिवाचित 890 ग्राम पंचायतों में से 5443 पंचों को पाल की शरण दिलाई। भी शाम ने कहा कि पंचायत सरकार ने पंचायत चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कावाने में नया कीर्तिमान स्थापित किया है, क्योंकि ये पंचायत चुनाव रजनीतिक पार्टी के चुनाव विह के बिंदु कावाने गए हैं, ताकि गांवों को राजनीतिक गुटबाजी की छाया से दूर रखा जा सके। इस कदम से लोगों में आसी भावित्वारी और मजबूत होता है। उन्होंने नवनिवाचित करके पंचायतों के फैसले में लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करें, ताकि विकास कार्यों में वारदातित सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने बताया कि जिले में 195 पंचायत सर्वसमर्पित की जीर्ण हैं, जिससे जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की भावना और मजबूत हुई है। उन्होंने नवनिवाचित पंचायत सदस्यों से ही अपने यानीनिक जीवन की शुरुआत की थी और आज उन्होंने नई ऊंचाइयों को छुआ है। उन्होंने नवनिवाचित पंचायत सदस्यों से गांवों के विकास के लिए धन का उचित उपयोग सुनिश्चित करने, विश्व रूप से पंचायत निर्णयों में अत्यधिक पारदर्शीता के लिए ग्राम सभा की बैठकों आयोजित करने का आग्रह किया।

एआईपीईएफ यूटी बिजली विभाग के निजीकरण कदम के खिलाफ सम्मेलन में भाग लेगा

एंड्रेसी

चांडीगढ़ » ऑल इंडिया पावन इंडीनियर्स फेडरेशन (एआईपीईएफ) केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ विजिली कर्मियों के समर्पण में नेशनल कोऑपरेटिव्स कंपनी और इलेक्ट्रिक्सटी एप्लॉइंज एंड इंडीनियर्स (एस्टीसीओईई) के बैनर तले 22 नवंबर को चंडीगढ़ यूटी बिजली विभाग के निजीकरण कदम के खिलाफ सामूहिक सम्मेलन में भाग लेगा। एआईपीईएफ के अधिकारी शैलेन दुबे ने मंगलवार को बागवानी एवं रक्षा कल्याण गांव के खेल स्टेडियम में भाग लेगा। एसी दुबे ने कहा कि वह निजीकरण के खिलाफ लड़ाई में चंडीगढ़ के बिजली कर्मियों के साथ खड़े हैं। ऐसी ही स्थिति में एआईपीईएफ के हस्तक्षेप के बाद पुढ़ेरी में बिजली विभाग के निजीकरण की प्रक्रिया रोक दी गयी। विद्युत अधिनियम की धारा 133(2) कर्मचारियों को किसी भी स्थानान्तरण योजना के तहत कम अनुकूल सेवा शर्तों पर कर्मचारियों को स्थानान्तरित न करने के लिए सुधार प्रदान की जाए। 2003 की धारा 131 के तहत इस तरह के प्रवाधन के अधाव में प्रसासन सरकार की 100 प्रतिशत रिस्पेन्डरों द्वारा विभाग में चंडीगढ़ के बिजली विभाग मुख्यमंत्री और सभी नवीनीकी भानक अच्छे हैं, फिर भी इनमें निजीकरण की जारी है। विजली विभाग के इंडिनियर्स और कर्मचारियों को इन निजीकरण की धारा 133(2) कर्मचारियों को किसी भी स्थानान्तरण योजना के तहत कम अनुकूल सेवा शर्तों पर कर्मचारियों को स्थानान्तरित न करने के लिए सुधार प्रदान की जाए। महासंचित रक्ताकार राव ने कहा कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 131 के तहत इस तरह के प्रवाधन के अधाव में प्रसासन सरकार की 100 प्रतिशत रिस्पेन्डरों द्वारा विभाग में चंडीगढ़ के बिजली विभाग की जारी है। इसके अपार्वाने इन निजीकरण की धारा 133(2) कर्मचारियों को किसी भी स्थानान्तरण योजना के तहत कम अनुकूल सेवा शर्तों पर कर्मचारियों को स्थानान्तरित न करने के लिए सुधार प्रदान की जाए। 2003 की धारा 131 के तहत इस तरह के प्रवाधन के अधाव में प्रसासन सरकार की 100 प्रतिशत रिस्पेन्डरों द्वारा विभाग में चंडीगढ़ के बिजली विभाग की जारी है। इसके अपार्वाने इन निजीकरण की धारा 133(2) कर्मचारियों को किसी भी स्थानान्तरण योजना के तहत कम अनुकूल सेवा शर्तों पर कर्मचारियों को स्थानान्तरित न करने के लिए सुधार प्रदान की जाए। 2003 की धारा 131 के तहत इस तरह के प्रवाधन के अधाव में प्रसासन सरकार की 100 प्रतिशत रिस्पेन्डरों द्वारा विभाग में चंडीगढ़ के बिजली विभाग की जारी है। इसके अपार्वाने इन निजीकरण की धारा 133(2) कर्मचारियों को किसी भी स्थानान्तरण योजना के तहत कम अनुकूल सेवा शर्तों पर कर्मचारियों को स्थानान्तरित न करने के लिए सुधार प्रदान की जाए। 2003 की धारा 131 के तहत इस तरह के प्रवाधन के अधाव में प्रसासन सरकार की 100 प्रतिशत रिस्पेन्डरों द्वारा विभाग में चंडीगढ़ के बिजली विभाग की जारी है। इसके अपार्वाने इन निजीकरण की धारा 133(2) कर्मचारियों को किसी भी स्थानान्तरण योजना के तहत कम अनुकूल सेवा शर्तों पर कर्मचारियों को स्थानान्तरित न करने के लिए सुधार प्रदान की जाए। 2003 की धारा 131 के तहत इस तरह के प्रवाधन के अधाव में प्रसासन सरकार की 100 प्रतिशत रिस्पेन्डरों द्वारा विभाग में चंडीगढ़ के बिजली विभाग की जारी है। इसके अपार्वाने इन निजीकरण की धारा 133(2) कर्मचारियों को किसी भी स्थानान्तरण योजना के तहत कम अनुकूल सेवा शर्तों पर कर्मचारियों को स्थानान्तरित न करने के लिए सुधार प्रदान की जाए। 2003 की धारा 131 के तहत इस तरह के प्रवाधन के अधाव में प्रसासन सरकार की 100 प्रतिशत रिस्पेन्डरों द्वारा विभाग में चंडीगढ़ के बिजली विभाग की जारी है। इसके अपार्वाने इन निजीकरण की धारा 133(2) कर्मचारियों को किसी भी स्थानान्तरण योजना के तहत कम अनुकूल सेवा शर्तों पर कर्मचारियों को स्थानान्तरित न करने के लिए सुधार प्रदान की जाए। 2003 की धारा 131 के तहत इस तरह के प्रवाधन के अधाव में प्रसासन सरकार की 100 प्रतिशत रिस्पेन्डरों द्वारा विभाग में चंडीगढ़ के बिजली विभाग की जारी है। इसके अपार्वाने इन निजीकरण की धारा 133(2) कर्मचारियों को किसी भी स्थानान्तरण योजना के तहत कम अनुकूल सेवा शर्तों पर कर्मचारियों को स्थानान्तरित न करने के लिए सुधार प्रदान की जाए। 2003 की धारा 131 के तहत इस तरह के प्रवाधन के अधाव में प्रसासन सरकार की 100 प्रतिशत रिस्पेन्डरों द्वारा विभाग में चंडीगढ़ के बिजली विभाग की जारी है। इसके अपार्वाने इन निजीकरण की धारा 133(2) कर्मचारियों को किसी भी स्थानान्तरण योजना के तहत कम अनुकूल सेवा शर्तों पर कर्मचारियों को स्थानान्तरित न करने के लिए सुधार प्रदान की जाए। 2003 की धारा 131 के तहत इस तरह के प्रवाधन के अधाव में प्रसासन सरकार की 100 प्रतिशत रिस्पेन्डरों द्वारा विभाग में चंडीगढ़ के बिजली विभाग की जारी है। इसके अपार्वाने इन निजीकरण की धारा 133(2) कर्मचारियों को किसी भी स्थानान्तरण योजना के तहत कम अनुकूल सेवा शर्तों पर कर्मचारियों को स्थानान्तरित न करने के लिए सुधार प्रदान की जाए। 2003 की धारा 131 के तहत इस तरह के प्रवाधन के अधाव में प्रसासन सरकार की 100 प्रतिशत रिस्पेन्डरों द्वारा विभाग में चंडीगढ़ के बिजली विभाग की जारी है। इसके अपार्वाने इन निजीकरण की धारा 133(2) कर्मचारियों को किसी भी स्थानान्तरण योजना के तहत कम अनुकूल सेवा शर्तों